न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 145/2023 | **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/53**
दायर दिनांक :— 29.09.2023 | **निर्णय दिनांक :— 27.11.2024**

1. विकास कुमार पुत्र खेताराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादी की खातेदारी अधिकरों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 797/5 रकबा 8.3608 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 797/2 रकबा 8.3527 हैक्टेयर सरहद मौजा नेवा पटवार हल्का कानासर तथा खसरा नम्बर 900 रकबा 36.4540 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2076—2079 संलग्न वाद पेश है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम विकास कुमार पुत्र खेताराम है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा वादी का नाम अपनी मनमर्जी से सुनिल पुत्र खेताराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम विकास कुमार पुत्र खेताराम है तथा इसी नाम से ही वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि बने हुवे है तथा वादी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी का नाम सुनिल पुत्र खेताराम दर्ज होने से वादी को के.सी.सी ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि संबंधित कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना पड़ रहा है। वादी ने दिनांक 20.08.2023 को अपना नाम सही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी ने वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिये वादी ग्राम नेवा व कानासर के उपरोक्त वर्णित खसरान् में दर्ज अपने गलत नाम सुनिल पुत्र खेताराम के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम विकास कुमार पुत्र खेताराम के नाम खातेदारी काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी सुनिल पुत्र

27.11.24

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

खेताराम का राजस्व रेकर्ड में नाम सुनिल पुत्र खेताराम दर्ज है तथा इनके पहचान के दस्तावेज में नाम विकास कुमार पुत्र खेताराम विश्नोई निवासी नेवा दर्ज है यदि न्यायालय गुणावगुण के आधार पर उचित सुनवाई कर नाम शुद्ध करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर के खसरा नम्बर 797/5 रकबा 8.3608 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 797/2 रकबा 8.3527 हैक्टेयर तथा ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर के खसरा नम्बर 900 रकबा 36.4540 हैक्टेयर स्थित है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में सुनिल पुत्र खेताराम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, माध्यमिक परीक्षा–2013 प्रमाण पत्र अंकतालिका इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम विकास कुमार पुत्र खेताराम है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादिनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर के खसरा नम्बर 797/5 रकबा 8.3608 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 797/2 रकबा 8.3527 हैक्टेयर तथा ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर के खसरा नम्बर 900 रकबा 36.4540 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम सुनिल पुत्र खेताराम के स्थान पर विकास कुमार पुत्र खेताराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

27.11.24

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. विकास कुमार पुत्र खेताराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 145 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर के खसरा नम्बर 797 / 5 रकबा 8.3608 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 797 / 2 रकबा 8.3527 हैक्टेयर तथा ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर के खसरा नम्बर 900 रकबा 36.4540 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम सुनिल पुत्र खेताराम के स्थान पर विकास कुमार पुत्र खेताराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.11.2024 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।